**न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर**
**(पीठासीन अधिकारीः— सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)**
**अपील संख्याः— 08/24 (18 आयुध अधिनियम 1959) (RCMS No.2024/9)**

बलविन्दर सिंह पुत्र स्व. श्री रोशनलाल उम्र 37 वर्ष निवासी ओम नगर कॉलौनी, गुरूमाल रोड, सैंपऊ रोड, धौलपुर जिला धौलपुर (राज.)

.....**अपीलान्ट**

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर।

.....**रैस्पोडैन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर दिनांक 20.12.2023, प्रकरण संख्या प. 21(1)/ न्याय—आर्म्स/ 2023/8718

उपस्थितिः—
श्री नरेन्द्रपाल सिंह वकील अपीलान्ट।

**निर्णय**

दिनांकः 17.09.2024

उक्त अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के आदेश दिनांक 20.12.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के कार्यालय में नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र को जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की ओर से आदेश दिनांक 20.12.2023 से यह कहते हुये कि अस्वीकार किया गया कि आवेदक द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष के लिये चाहा गया है, जो कि जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के क्षेत्राधिकार से बाहर है तथा जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने भी अपनी रिपोर्ट में आवेदक को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने की अभिशंषा नहीं की है। अपीलान्ट की ओर से जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की ओर से पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 20.12.2023 के विरूद्ध उक्त अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वक्त बहस रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। अतः वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2023 रिकार्ड व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट धौलपुर का स्थायी निवासी है तथा 170 सी.आर.पी.एफ. बी.टी. श्रीनगर जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेशन पर सेना में नौकरी पर है। अपीलान्ट की वर्ष 2024 में सेना से सेवानिवृत्ति हो रही है। अपीलान्ट के द्वारा अपनी आत्मरक्षार्थ एवं सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद निजी संस्थानों व अन्य जगह नौकरी करने

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

17.9.2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

हेतु नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के कार्यालय में प्रस्तुत किया था। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अंपनी रिपोर्ट दिनांक 05.04.2021 के द्वारा अपीलान्ट को नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने की अनुशंषा की थी। इसके बाबजूद जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने उक्त रिपोर्ट को नजरअंदाज किया है। इसी प्रकार तहसीलदार धौलपुर के द्वारा भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 23.02.2021 के द्वारा अपीलान्ट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने की अनुशंषा की गई थी। जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा अपीलान्ट के आवेदन को इस आधार पर खारिज किया गया है कि सम्पूर्ण भारत वर्ष के लिये अनुज्ञा पत्र जारी किया जाना जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के बाहर है, परन्तु जिला मजिस्ट्रेट को जिले के अन्दर अनुज्ञा पत्र जारी करने की पूर्ण अधिकारिता है। जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने धौलपुर जिले के लिये अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किये जा सकने के संबंध में किसी प्रकार का कोई अभिमत नहीं दिया है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया, जो कि प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के विपरित है। जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा जिस आधार पर अपीलान्ट का आवेदन पत्र अस्वीकार किया गया है। वह आधार उचित नहीं है, क्योंकि अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने, अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त हुई रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद स्पष्ट व स्पीकिंग निर्णय पारित करना चाहिए था, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा क्षेत्राधिकार के आधार पर अपीलान्ट के आवेदन को निरस्त किया गया है, जो कि उचित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के पक्ष में जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की अधिकारिता क्षेत्र के लिये नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसके साथ आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आयकर विभाग की ओर से जारी पैन कार्ड, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की ओर से जारी पहचान पत्र, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी पहचान पत्र, कमाण्डेंट ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु.बल नई दिल्ली की ओर से जारी वेतन प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वचनबद्ध पत्र, सहिष्णुता प्रमाण पत्र, क्षतिपूर्ति बांड, शपथ पत्र आदि प्रस्तुत किये गये थे। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र के संबंध में पुलिस अधीक्षक धौलपुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी वि0शा0 जोन भरतपुर, तहसीलदार धौलपुर, उपवन संरक्षक धौलपुर, प्रमुख

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

12.9.2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

चिकित्सा अधिकारी धौलपुर व संचित निरीक्षक रिर्जव पुलिस लाइन धौलपुर को रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। जिसके क्रम में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी धौलपुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी वि0शा0 जोन भरतपुर, उपवन संरक्षक धौलपुर, तहसीलदार धौलपुर व पुलिस अधीक्षक धौलपुर की ओर से शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने की अनुशंषा की गई। अपीलान्ट की ओर से अपने पक्ष में अनुज्ञा पत्र जारी करवाये जाने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी. सिविल रिट पिटिशन नंबर 6214/2022 उनवानी बलबिन्दर सिंह बनाम राजस्थान सरकार प्रस्तुत की गई। जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 19.10.2023 पारित किया गया। उक्त निर्णय में जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर को अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत किये गये नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र के प्रार्थना पत्र का नियमानुसार 2 माह में निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये। जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त हुये निर्देशों के क्रम में पुनः पुलिस अधीक्षक सीआईडी (सुरक्षा) राज्य विशेष शाखा राजस्थान जयपुर, प्रभारी निरीक्षक पुलिस लाइन धौलपुर, पुलिस अधीक्षक धौलपुर को पत्र लिखा गया। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक धौलपुर से पत्र दिनांक 18.12.2023 के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई कि आवेदक की सुरक्षा को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होना पाया गया है। इसलिये आवेदक को नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने की अनुशंषा नहीं की जाती है। जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के द्वारा पुलिस अधीक्षक धौलपुर से प्राप्त हुई उपरोक्त रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र के आवेदन को अस्वीकार किये जाने का आदेश दिनांक 20.12.2023 को पारित किया है। जिसमें आवेदक द्वारा सम्पूर्ण भारत वर्ष के लिये अनुज्ञा पत्र चाहे जाने के कारण जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के बाहर होने का भी उल्लेख किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की ओर से पारित उपरोक्त आदेश उचित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उपरोक्त प्रकरण में पूर्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी वि0शा0 जोन भरतपुर, उपवन संरक्षक धौलपुर, तहसीलदार धौलपुर, पुलिस अधीक्षक धौलपुर की ओर से अपीलान्ट को नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने की अभिशंषा की गई है। जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.10.2023 के पश्चात पुलिस अधीक्षक सीआईडी (सुरक्षा) राज्य विशेष शाखा जयपुर को भी पत्र दिनांक 30.10.2023 के द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञा पत्र के संबंध में जॉच करवाकर रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया था, परन्तु जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक सीआईडी (सुरक्षा) राज्य विशेष जयपुर से रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही पुलिस अधीक्षक धौलपुर से प्राप्त हुई रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत नवीन अनुज्ञा पत्र के आवेदन को अस्वीकार किये जाने का आदेश दिया है, जो कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

17.9.2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के द्वारा जारी आदेश दिनांक 20.12.2023 निरस्त किया जाकर प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट की ओर से नवीन अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र के संबंध में पुलिस अधीक्षक सीआईडी (सुरक्षा) राज्य विशेष जयपुर से रिपोर्ट प्राप्त करने के साथ–साथ विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त हुई रिपोर्ट के संबंध में स्पष्ट अभिमत व्यक्त करते हुये आयुध अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुये अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के आवेदन पत्र को खारिज किये जाने/स्वीकार किये जाने के संबंध में पुनः नये सिरे से स्पष्ट व स्पीकिंग निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 17.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

न्यायालय संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर